

सत्र 2021-22 हेतु संस्था का वित्तविवरण किया जाता है, जो संस्था की सर्वोच्च नई जागू होगी।

- ✓ संस्था को (अथवा) प्राविधिक शिक्षा समितिक तथा उप समितिक, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाय। विविधसकली-2020 की तर्ती को अनुमान करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रकृत पीला पीछ द्वाा अर्थात उपर को ही प्रकृत दिया जायेगा तथा के रिक्त नई जाने की तिथि में उल्ल प्रकृत तत्परन के विदितानुसार ही प्रकृत की रूपरेखा को जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत तत्परनद्वारा के अनुसार विविध एवम् सम्बद्धता हुकम जता करना होगा।
- ✓ संस्था को ए.आई.सी.टी.टी. (ए.सी.आई.टी.) से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उल्ल प्रकृत तत्परन द्वाा उत्तरने तर्ती विविधितपत्र/अधिनियम/तत्परनद्वारा/विदितों एव विदितानु, प्राविधिक शिक्षा, 2020, समुक्त प्रकृत पीला पीछ, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा पीछ, 2020) द्वाा जाय तर्ती विविधता, विनिर्णय, आदेशों, विदितों का तत्परन करने के लिये रहन जता।
- ✓ विदितानु द्वाा फालीसी परद्वारन की संस्थाए प्रकृत वे सी.आई. नई विदितों से अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक रहती है तो इस संस्था में सम्बद्ध उल्ल/विदित संस्था का होना और विविध रूप में किसी भी रूपरेखा के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा पीछ, समुक्त प्रकृत पीला पीछ, प्राविधिक शिक्षा विदितानु एव प्राविधिक शिक्षा विभाग उल्ल प्रकृत तत्परन को कहीं कद दाया किया जाता है तब दाया कद के संस्था में या, उल्ल/विदित द्वाा किसी संस्था की प्रतिभूति संस्था अर्थात विदित किया जाता है तो सम्बद्ध प्रतिभूति सम्बद्धित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विदितानु द्वाा फालीसी परद्वारन सम्बद्धित करने वाली संस्थाओं को समुक्त प्रकृत पीला पीछ, उल्ल प्रकृत तत्परन द्वाा परफेक्ट तर्ती के लिए आवश्यक प्रकृत पीला हेतु कर्तव्यनिर्णय प्राप्त होने के पूर्व ए.आई.सी.टी.टी. से अनुमोदन प्राप्त कर पीछ कार्यालय को उपस्था कराया होगा अन्यथा उन्ही प्रकृत की (कर्तव्यनिर्णय के आगामी में उपस्था संस्था तथा पर भी प्रकृत) अनुमोदित नही प्राप्त की जायेगी।
- ✓ उल्ल प्रकृत तत्परन द्वाा प्रकृत हेतु निर्गत तत्परन आदेश विदितों को अनुमान करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को उल्ल विदित पर संस्था की सम्बद्ध सुधारण जैसे संस्था की परिचालनक दृष्टि भूमि, स्थाय, साध, संजान, आगामी, प्राप्त किया जाय तथा हुकम, उल्ल/विदित हुकम अर्थात के विविध उल्ल/विदित कराया होगा।
- ✓ संस्था को विविध प्रकृतन हेतु उपस्था कागदपत्र उपस्था करने के साथ तर्ती तत्परने के सम्बद्ध में सम्बद्ध आवश्यक उपस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित है मे कि संस्था में परतावित/ सम्बद्धित परद्वारन को धारण जाय हेतु विविध अर्थात के सत्र उल्ल/विदित कराने तर्ती अर्थात, सुनिश्चित, एनपीए, उल्ल/विदित इन्वॉय के विदित संस्था द्वाा किसी अन्य परद्वारन के सम्बद्ध में जाय किया जाता है और पीछ को इसी जायकारी होगी है कि संस्था उल्ल/विदित का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्परन संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाय की अनुमोदित की जायेगी।
- ✓ संस्था के सम्बद्धित विदितानु द्वाा वही संस्था में भूमि, प्रकृत, उल्ल/विदित, उपस्था एव अन्य सम्बद्धित ए.आई.सी.टी.टी. (ए.सी.आई.टी.) के सम्बद्धित उल्ल/विदित नही जाय जाता है तो संस्था की सम्बद्धित समाप्त कर दी जायेगी।

✓ सरकारी शर्तों का अनुपालन न किए जाने अथवा इसी का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित अनुशासनसूचक कार्य बढ़ाई की जायेगी।

सुनील कुमार शर्मा

रजिब

पु.सं.0. पाठ्यक्रम विभाग सं. 2021/3538-4809

दिनांक: 05/08/2021

प्रति,

श्रीमान् प्राचार्य/निदेशक, MAHARAJA PRATAP SCHOOL OF PHARMACY, UCKNOW.

सुनील कुमार शर्मा

रजिब

कार्यालय

संघीय प्राथमिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश महानगर

संख्या:- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2022-7317

महानगर दिनांक- 26/08/2022

कार्यालय द्वारा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परमेश्वर कलाभित्त ज्येष्ठ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सा। 2022-23 हेतु दिल्ली/राज्यीय/राज्याधीन शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद (उ.प्र.) संघनगर से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 22/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघनगर/बुध- बैठक में समिति द्वारा सा। 2022-23 हेतु अर्जेंट नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से सरकारी संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पठनक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सा। 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. सा। संघनगर द्वारा सा। 2022-23 हेतु विभाजित शर्तों के अर्जेंट पठनक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2148-MAHARANA PRATAP SCHOOL OF PHARMACY			
क्र.सं०	पठनक्रम का नाम	एच-आई/पी/टी/ई/पी/सी/आई/पी/सी-आई/पी/सी-आई परिषद द्वारा सा। 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सा। 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच-आई/पी/टी/ई/पी/सी/आई/पी/सी-आई/पी/सी-आई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद (विनियमन) 1992, विनियमन(सां)-2000, संशोधन विनियमन(सां)-2016 तथा संस्था-समय पर निर्मित आदेशों का अनुपालन करेगी तथा वार्षिक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पदाधिकारों हेतु रु। 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कार्यवाही पदाधिकारों हेतु रु। 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक लाख दो हजार पाचससौ (दो वार्षिक कार्यवाही पदाधिकारों के प्रतिवर्ष) हेतु रु। 21500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक आंकड़ों में प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से प्राप्त की जाने वाली राशियां/समाज से प्राप्त की जाने वाली सामाजिक प्रभावी शर्तें, जो तदनुसार कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। वार्षिक निर्धारण समिति द्वारा यदि सा। 2022-23 हेतु कोस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कोस की सहमति एवं अनुमति होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जेंट शर्तों को ही प्रयोग किया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित आदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विनियमन/विनियमन/आदेशों/निर्देशों एवं विदेशक, प्राथमिक शिक्षा (उ.प्र.) अनुसूचक प्रवेश परीक्षा परिषद, उ.प्र. तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये विनियम, विनियमों/आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए बंधावर्ती है।
- ✓ यदि संस्था का एच-आई/पी/टी/ई/पी/सी/आई/पी/सी-आई में अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विदेशक तथा न केवळ ही कार्यवाही के लिए संबंधित उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

के विरुद्ध यदि कोई उदाहार किया जाता है तो राज्य न्याय के संस्था में मा. सरकार द्वारा किसी प्रकार की जतिवृत्त संबंधी आदेश निगूठ किया जाता है तो समस्त प्रक्रियाएँ संबंधित संस्था को करनी होंगी।

- ✓ संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिसर, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रवेश सर्व प्रवेश हेतु आयोजित कार्यक्रमों पर होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिसर कार्यलय को उपलब्ध करवा लेना अन्यथा उक्त प्रवेश की (कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रवेश परीक्षा के अन्तर्ग प्रवेश प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर विभिन्न स्थितियों को देखते हुए विधानों का अनुमोदन करके बाधकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचना जैसे संस्था की विवरणिका पूर्ण भूमि, उत्तर, कार्य-समय, उपकरण, प्रदा किया जाने वाला सुक, छात्रावास सुक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ ही, राज्य के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रशिक्षण सुकचित पर्यक्रम को चलने जाने हेतु निरीक्षण समितियों के समय उपलब्ध कराए गये अभिज्ञान, भूमि-भवन, परीक्षा, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वातावरण में संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिसर को इतकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी आम कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता सम्बन्ध किचे जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के जीवनकाल में निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सामग्री ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०पी०आई०पी० के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाते है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता प्रवर्तकों का अनुमोदन न किचे जाने अन्तर्ग सभी का उत्सर्जन किचे जाने की स्थिति में विमानानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०पी०आई०पी०)

सचिव

पुणे: ००/००/००००/००००/००००/००००/००००/००००/००००/००००/००००/००००

दिनांक: 30/08/2022

पत्तिका:

MAHARANA PRATAP SCHOOL OF PHARMACY



(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०पी०आई०पी०)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या: प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2023/1209/0001

तखनक: दिनांक: 12-09-2023

श.कार्यालय शा.प.:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं थर्मोमी कर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित विद्यार्थीमा हस्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० तखनक से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमांक दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/थर्मोमी कर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक से लिए गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० तखनक द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश समस्या हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड आ नाम : 2-1-48 MAHARAJA PRATAP SCHOOL OF PHARMACY

क्र.सं.	पठ्यक्रम का नाम	10 अंकों में विद्यार्थी प्रति वर्ष और द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित पैठक पर्यता	परीषद द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित पैठक पर्यता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुमान-3 उत्तर प्रदेश शासन के फा संख्या 31/78-30059/2020 टुकड़ा-1 दिनांक 16 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थाओं की ओर से शिक्षा आयोग द्वारा जारी किए गए प्राविधिक शिक्षा संख्या 5027/0020 में मानकों पर आधारित निर्णय के अधीन सम्बद्धता विस्तार की जाती है।

- ✓ संस्था अधिनियम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/राज्यीय इंजिनियरिंग और इंडिया, आई इण्डिया द्वारा निर्धारित को सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अधिनियम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/राज्यीय इंजिनियरिंग और इंडिया, आई इण्डिया के आदेश के अनुसार संस्थान में समस्त संसाधन (श्रमि, भवन, लेबर प्रवाहन) आदि उपलब्ध हों।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनवाली 1992, विनियमावली-2000, नैमेस्टय विनियमनवाली-2016 तथा समस्त कर्म पर नियंत्रित कालगद्दे-सी का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निधीकरण समिति द्वारा निर्धारित मुक्त ह्री प्रत्येक क्रमवार से बना किया जाएगा उसी तरह के अतिरिक्त कार्यप्रवाहों से मुक्त के सम्बन्ध में समस्त कर्म पर शासन द्वारा निर्धारित करने वाले शासनद्वारा जारी हों, और बहुमुक्त कार्यप्रवाहों द्वारा आना आकार एक होगा। कर्म निधीकरण समिति द्वारा पाई सत्र 2023-24 हेतु सत्र का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पैसे का सर्वोत्तम हई जायू होगी।
- ✓ संस्था में समस्त प्रयोग प्रयोगा परिषद द्वारा आदेशित करने का ह्री प्रयोग होगा।
- ✓ संस्था को समस्त कर्म पर विनियम शासनद्वारा के अनुसार निर्धारित एवं सम्बन्धित मुक्त प्रदान करता होगा।
- ✓ संस्थान द्वारा प्रयोग शासन द्वारा विनियम विनियमन/अभियंता/कर्मगद्दे-सी हई ल एवं विनियम, प्राविधिक शिक्षा, आदेश, समस्त प्रयोग प्रयोगा परिषद, आदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, आदेश द्वारा करने वाले विनियम, विनियमा, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी हों।
- ✓ पाई संस्थान का अधिनियम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/राज्यीय इंजिनियरिंग और इंडिया, आई इण्डिया से अनुमोदन विनियम किया जाता है तो हृष संस्थान में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विनियम एवं से विनियम भी कार्यप्रवाहों के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समस्त प्रयोगा परिषद परिषद, प्राविधिक शिक्षा विनियमन एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध कोई भी हृष प्रयोग किया जाता है तथा हृष हृष के संस्थान में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करके अहं न निर्धारित किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संस्थान संस्था का उत्तरदायी होगी।
- ✓ संस्थाओं को समस्त प्रयोग प्रयोगा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यप्रवाहों के लिए अनुमोदन प्रयोगा परिषद हेतु इंजिनियरिंग शासन हृष के पूर्व अधिनियम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/राज्यीय इंजिनियरिंग और इंडिया, आई इण्डिया से अनुमोदन प्रयोगा परिषद कार्यप्रवाहों को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रयोग हेतु समस्त कर्म पर विनियम शासनद्वारा आदेशित विनियम का अनुपालन करना आवश्यकता होगा।
- ✓ संस्था को अपने कर्मगद्दे तथा प्राविधिक शिक्षा के कर्मगद्दे प्रयोग एवं संस्था को समस्त कर्मगद्दे जैसे संस्था की ऐतिहासिक मुक्ति श्रमि, भवन, वाहन-सज्जा, उपकरण, प्रयोग किया जाने वाला मुक्त, उत्तरदायित्व मुक्त आदि का विनियम उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विनियम/प्रतिक्रिया हेतु अनुमोदन प्रयोगा उपलब्ध कराने के साथ रचित करने के सम्बन्ध में समस्त शासनद्वारा आवश्यकता निर्धारित करानी होगी।

- ✓ संस्था यह सुनिश्चित है कि संस्था ने परराज्यसंपन्नित पर्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्माण समिति के माता उपलब्ध कराये गये अभिलेख, श्रुति भवन, कर्मचारी, उपकरण इन्फ्रस्ट्रक्चर का चर्चा संस्था द्वारा किसी अन्य महत्वपूर्ण के संवालय से प्रयोग किया जाता है और पत्रिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उक्त पत्रा प्राविधिक विधा (समितियाँ और उपसमितियाँ, संचालकों का सम्बद्ध किए गए) विनियमक 2020 के प्राविधानानुसार पत्रिषद् की माता पर अपने कर्मचारियों, श्रुति और कर्मचारी को पत्रिषद् का संचालन के लिए पत्रिषद् के अधिकार संरक्षण।
- ✓ संस्था के अधिक संचालन विभाग के द्वारा चर्चा संस्था में श्रुति, भवन, कर्मचारी, उपकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण पराअर्थसंपन्नित पर्यक्रम के मातानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जायेंगे तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त पर ही जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विनियमानुसार अनुसंधानसंगठक कार्यवाही की जायेगी।



(अनंद कुमार मिश्र)
सचिव

पत्रिषद् प्राविधिक पत्रिषद् सम्बद्ध W2023/12090002-1209-1230

दिनांक: 12-09-2023

प्राविधिक
प्रधानाचार्य/निदेशक MAHARANA PRATAP SCHOOL OF PHARMACY



(अनंद कुमार मिश्र)
सचिव